संख्या-1454/2026/367/22-2-2026-17(300)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 30 अक्टूबर 2026*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फतेह बहादुर पुत्र श्री नागेश्वर, निवासी जनपद-रायबरेली की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक,(मु0) कारागार के पत्र संख्या-7943/प्रो(6)/261/(महिला दिवस-26), दिनांक 05.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फतेह बहादुर पुत्र श्री नागेश्वर, दरियावगंज मजरे रीवा, थाना-शिवगढ, जनपद-रायबरेली का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक-18.08.1994 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पशु चारागाह की जमीन और उस पर लगे पेड़ो के विवाद के कारण बन्दूक से फायर करके वादी मुकदमा के दो सगे भाइयों पारसनाथ व रामनरेश यादव सहित 02 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-199/1996 व एस0टी0नं0-320/2007, में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट न-6, रायबरेली के आदेश दिनांक 04.05.2010 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 08.03.2026 तक 16 वर्ष, 02 माह, 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष, 05 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायायिका समिति द्वारा बन्दी द्वारा विवाद के कारण 02 सगे भाइयों की निर्ममतापूर्वक हत्या करने जैसा घृणित व जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज मे न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/ 2018, दिनांक 28 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक-27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी फतेह बहादुर पुत्र श्री नागेश्वर की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फतेह बहादुर (बन्दी सं0-485/10) पुत्र श्री नागेश्वर, निवासी जनपद-रायबरेली की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1454/2026/367(1)/22-2-2026 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।